न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **64/2013** दायर दिनाँक **22.04.2013**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नवाबखाँ पुत्र जाब्दीखाँ (फौत), के वारिशान्– 1/1 खातूनबानो पत्नी नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/2 राजबानो पत्नी रफीकखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल,निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/3 इस्लामबानो पत्नी हनीफखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल,निवासी–छोटी छापरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/4 मांगुखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/5 असलमखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/6 शबीनाबानो पत्नी अरशदखाँ पुत्री	**बनाम**	1. आमीनखाँ पुत्र अब्दुखाँ, 2. रमजानखाँ पुत्र अब्दुखाँ, 3. मुरादखाँ पुत्र अब्दुखाँ, 4. मनीबानों पुत्री अब्दुखाँ, 5. भँवरूखाँ पुत्र दस्तूखाँ, 6. मुन्शीखाँ पुत्र दस्तूखाँ, 7. बाबूखाँ पुत्र दस्तूखाँ, 8. लालखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नवाबखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मुस्ताकखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 05 ता 07 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद तारपुरा में खसरा नम्बर 131 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 132 रकबा 33.00 बीघा, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 के पूर्वज स्वर्गीय जाब्दीखाँ पुत्र इस्माईलखाँ के समय से कब्जाकाश्त की रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद तारपुरा में खसरा नम्बर 131 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 132 रकबा 33.00 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग का वादी नवाबखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का मुस्ताकखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी संख्या 05 भँवरूखाँ को व हिस्सा 03/10 भाग का प्रतिवादी मुन्शीखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी बाबूखाँ को तथा हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी लालखाँ को खातेदार घोषित किया जावे। स्वर्गीय अब्दुखाँ के पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, का नाम हटाया जावे। वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03, 04, 08 व 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद में संशाधित शीर्षक पेश हुआ जो रिकॉर्ड पर लिया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 ग्राम तारपुरा खेवट संख्या 84/74 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**खाखोली** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

लोक अदालत व आपसी समझाईश के कारण से दावानुसार, पक्षकारान् सहमत हैं एवं दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

पक्षकारान्, दावा स्वीकार किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना, सही होना पाया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मद्दे नजर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 64/2013
दायर दिनाँक 22.04.2013, निर्णय दिनाँक 06.06.2018
नवाबखाँ, वगैरा बनाम् आमीनखाँ, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **तारपुरा** में खसरा नम्बर 131 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 132 रकबा 33.00 कुल रकबा 33.08 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/2 भाग का वादी नवाबखाँ के वारिशान् को व हिस्सा 1/20 भाग का वादी मुस्ताकखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी संख्या 05 भँवरूखाँ को व हिस्सा 03/10 भाग का प्रतिवादी मुन्शीखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी बाबूखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी लालखाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

निर्णय, आज दिनाँक **06.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018ः राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **64/2013** दायर दिनॉक **22.04.2013**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नवाबखॉं पुत्र जाब्दीखॉं (फौत), के वारिशान्– 1/1 खातूनबानो पत्नी नवाबखॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/2 राजबानो पत्नी रफीकखॉं पुत्री नवाबखॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल,निवासी–धनकोली . तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/3 इस्लामबानो पत्नी हनीफखॉं पुत्री नवाबखॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल,निवासी–छोटी छापरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/4 मांगुखॉं पुत्र नवाबखॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/5 असलमखॉं पुत्र नवाबखॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 1/6 शबीनाबानो पत्नी अरशदखॉं पुत्री नवाबखॉं,	बनाम	1. आमीनखॉं पुत्र अब्दुखॉं, 2. रमजानखॉं पुत्र अब्दुखॉं, 3. मुरादखॉं पुत्र अब्दुखॉं, 4. मनीबानो पुत्री अब्दुखॉं, 5. भॅवरूखॉं पुत्र दस्तूखॉं, 6. मुन्शीखॉं पुत्र दस्तूखॉं, 7. बाबूखॉं पुत्र दस्तूखॉं, 8. लालखॉं पुत्र दस्तूखॉं, कौम–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

जाति–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, हाल,निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **2.** मुस्ताकखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम–कायमखानी, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **06.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 05 ता 07** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **तारपुरा** में खसरा नम्बर 131 रकबा 0.08 बीघा व खसरा नम्बर 132 रकबा 33.00 कुल रकबा 33.08 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/2 भाग का वादी नवाबखाँ के वारिशान् को व हिस्सा 1/20 भाग का वादी मुस्ताकखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी संख्या 05 भँवरूखाँ को व हिस्सा 03/10 भाग का प्रतिवादी मुन्शीखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी बाबूखाँ को व हिस्सा 1/20 भाग का प्रतिवादी लालखाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—खाखोली

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner